बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 143/09–10

1. परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम	–	पंचायत राज चाँदपुरा परसा, सारण
(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि	–	वर्ष 2001–02 से 03–04
(ग) प्रशासी विभाग का नाम	–	पंचायती राज निदेशालय, बिहार पटना।
(घ) लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम	–	1. श्री चन्द्रदेव सिंह मुखिया जून 2001 से 31.7.06 पंचायत सचिव 1. श्री रविन्द्र नाथ राय 01.06.01 से 18.4.02 2. श्री इन्द्रदेव राय 19.4.02 से 31.7.03 3. श्री शिवचन्द राम 01.8.03 से 31.8.04
(ड0) अंकेक्षण में सहयोग करने वाले पदा0 का नाम,पदनाम	–	श्री कामेश्वर राय पंचायत सचिव
(च) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि	–	22.07.09
(छ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि	–	24.08.09
(ज) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस	–	9, कार्य दिवस
(झ) अंकेक्षकों के नाम	–	श्री हरेन्द्र माँझी व0 अं0–2 श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा व0 अं0 –2
(ञ) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची	–	अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर दी गयी है।

(ट) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

वित्त विभागीय ज्ञापांक 3286 एफ0 ए0 दिनांक 15.9.1960 एवं वित्त (अंकेक्षण) विभागीय कार्यालय आदेश सं0 64 दि0 15.07.09 के निदेशानुसार ग्राम पंचायत राज चाँदपुरा, प्रखण्ड परसा (सारण) के वित्तीय वर्ष 2001–02 से 03–04 तक अंकेक्षण उपलब्ध लेखाभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। पंचायत द्वारा कोषागार से किसी प्रकार की जमा एवं निकासी नही की गई थी, इसलिए कोषागार से सत्यापन की आवश्यकता नही पड़ी। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत राज चाँद पुरा का यह प्रथम अंकेक्षण है। उक्त ग्राम पंचायत का सृजन सम्बन्धित मुखिया के कथनानुसार वर्ष 2001 में पूर्व ग्राम पंचायत पचलख के तीन गाँवों चाँदपुरा, बसगंडा एवं कुवारी वीर तथा ग्राम पंचायत राज पचरूखी के ग्राम गंगोई,एवं कुआरी आजम को सम्मिलित कर किया गया है। इस संबध में अंकेक्षण को सृजन से सम्बन्धित कोई लिखित दस्तावेज अंकेक्षण में उपलब्ध नही करायी गयी, जिसके कारण अंकेक्षण को उक्त ग्राम पंचायत के सृजन का वास्तविक तिथि का पता नही चला सका।

(ठ) वित्तीय परिशंसा :–

वर्ष 2001–02 से 03–04 से संबंधित आवंटन एवं व्यय का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर दिया गया है। जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि विभिन्न योजनाओं में आय के अन्तर्गत व्यय किया गया है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001–02 एवं 03–04 में बचत की राशियाँ क्रमशः रू0 3221.00,रू0 38573.00 एवं 2483.89 पैसे उल्लिखित पायी गयी। दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में बचत की राशि रू0 17949.00 एवं एकादश वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 02–03 एवं 03–04 में बचत की राशि रू0 12961.00 एवं 93260.00 थी।

(ii) अंकेक्षण प्रारंभण दिनांक 22.7.09 को अंकेक्षण के समक्ष रोकड़ पंजी के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन नही कराया गया।

(iii) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना रोकड़ पुस्त

वर्ष 2001–02 प्रारंभण रोकड़ रू0 500.00 पाया गया एवं दिनांक 31.3.02 का संवरण शेष रू0 3221.00 अंकित पाया गया।

<u>रोकड़ विस्तार</u>

बचत खाता सं0 14823 स्टैट बैंक ऑफ इंडिया परसा में जमा रू0 3221.00

दिनांक 31.3.03 संवरण शेष 38573.00 अंकित पाया गया,जो निम्न रूप में जमा था।

बचत खाता सं0 14838 स्टैट बैंक ऑफ इंडिया परसा में जमा।

दिनांक 31.03.04 का संवंरण शेष रू0 2483.89

अंकित पाया गया ,जो निम्न रूप में जमा था बचत खाता सं0 01100050005 स्टैट बैंक परसा में जमा ।

<u>दशम वित्त आयोग का रोकड़ पुस्त :–</u>

दिनांक 31.3.04 का संवरण शेष रू0 17949.00 अंकित पाया गया, जो निम्न रूप में जमा पाया गया।

<u>उत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भेल्दी</u>

बचत खाता सं0 3229 में जमा रू0 17949.00

<u>एकादश वित्त आयोग रोकड़ पुस्त :–</u>

दिनांक 31.03.03 का संवरण रोकड़ 12961.00 अंकित पाया गया जो निम्न रूप में जमा था :–

बचत खाता सं0 3229 में जमा रू0 12961.00

दिनांक 31.3.04 का संवरण शेष रू0 83260.00 अंकित पाया गया जो निम्न प्रकार जमा था।

<u>उत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भेल्दी</u>

बचत खाता सं0 3229 में जमा 83260.00

(iv) अंकेक्षणाधीन पंचायत के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त बल का व्यौरा अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया।

भाग —1

2. रू0 8050.00 का अग्रिम असमायोजित :—

(क) सहायक रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि श्री चन्द्रदेव सिंह भूत पूर्व मुखिया ग्राम पचांयत राज चाँद पुरा को उपस्कर क्रय के लिये चेक सं0 858080 दि0 28.09.02 के द्वारा रू0 7500.00 का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया था। परन्तु उक्त अग्रिम के प्रतिकूल उपस्कर के क्रय से संबंधित कोई अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे अग्रिम की राशि असमायोजित रह गयी। उल्लेखनीय है,कि उक्त अग्रिम की राशि का व्यय संबंधित रोकड़ पुस्त में अग्रिम भुगतान तिथि को प्रविष्ट कर दिया गया, जिससे उक्त राशि के दुर्विनियोग की संभावना बनी हुई है। इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया।

(ख) सहायक रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया कि श्री शिवचन्द राम पंचायत सचिव चाँद पुरा को संस्थापन व्यय के लिये चेक सं0 623526 दि0 26.09.03 के द्वारा रू0 550.00 का भुगतान आग्रिम के रूप में किया गया था। परन्तु उक्त अग्रिम के प्रतिकूल संस्थापन व्यय से संबंधित कोई भी अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे अग्रिम की राशि असमायोजित रह गयी। उल्लेखनीय है,कि उक्त अग्रिम की राशि का व्यय संबंधित रोकड़ पुस्त में अग्रिम भुगतान तिथि को प्रविष्ट कर दिया गया, जिससे उक्त राशि के दुर्विनियोग की संभावना बनी हुयी है। इस संबंध में अंकेक्षण आपत्ति का कोई प्रति उत्तर नही दिया गया।

इस प्रकार क+ख की कुल राशि रू0 7500+550=8050.00 के असमायोजित अग्रिम के तरफ उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति पर अग्रिम के समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग ,बिहार पटना को अवगत कराया जाय। भविष्य में अग्रिम को रोकड़ पुस्त में व्यय दिखाया जाना प्रक्रियात्मक भूल पर भी दृढ़ता से रोक लगायी जाय।

3. योजना मद में अनियमित भुगतान की राशि रू0 172992.00 आपत्ति अंतर्गत :—

वर्ष 2001–02 से 03–04 के सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की जाँच में पाया गया कि उक्त योजना के अन्तर्गत पूर्ण किये गये कार्यो के लिये विभिन्न अभिकर्त्ताओं को कुल रूपये 172992.00 का भुगतान विभिन्न तिथियों को किया गया था। पूर्ण किये गये कार्यो से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न कार्यो में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएँ पायी गई जिससे कार्य का पूर्ण होना संदिग्ध प्रतीत होता है। पूर्ण किये गये कार्य योजनाओं का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ग'' पर दिया गया है।

ऐसी स्थिति में मास्टर रौल, मापी पुस्त अपेक्षित अभिश्रवों के अभाव एवं अपूर्णता के कारण किसी भी स्थिति में कार्य की पूर्णता प्रमाणित नही होती। उच्चाधिकारियों का ध्यान योजनाओं पर किये गये व्यय की तरफ विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। फलतः उक्त योजनाओं पर कुल व्यय की राशि रू0 172992.00 संबंधित मापी ,पुस्त ,मास्टर रौल एवं वंछित अभिश्रव प्राप्त कर पूर्णता की जाँच सक्षम पदा0 से करा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार ,पटना अवगत कराया जाय किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर दोषी व्यक्ति पर अपेक्षित कारवाई की जाय तब तक व्यय राशि रू0 1,72,992=00 आपत्ति अंतर्गत रखा जाता हैं।

4. <u>अपूर्ण योजनाओं पर अग्रिम भुगतान की राशि रू0 128508.00 असमायोजित :–</u>

वर्ष 2001–02 से 03–04 के योजनाओं की जाँच में पाया गया कि विभिन्न योजना मदो में विभिन्न अभिकर्त्ताओं को रू0 1,28,508.00 का भुगतान विभिन्न तिथियों को किया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त भुगतान के बावजूद सभी योजनाएँ अंकेक्षण समाप्ति तक अधूरी पायी गयी। जबकि योजना का कार्य संबंधित वित्तीय वर्ष में ही पूरा कर लिया जाना चाहिए था। योजनाओं के साथ संलग्न अभिलेख यथा मास्टर रौल, मापी पुस्त एवं अभिश्रव या तो अधूरे पाये गये अथवा बिल्कुल ही नही पाये गये जिसका विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''घ'' पर दिया गया है। अधिकारियों का ध्यान योजनाओं के अपूर्णता की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि योजना को पूर्ण कराकर अग्रिम भुगतान राशि को समायोजन कराया जाय अन्यथा की स्थिति आवश्यक कारवाई की जाय।

5. <u>रू0 3060.00 का छात्रवृति भुगतान पर किया गया व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–</u>

छात्रवृति पंजी की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2001 में मध्य विद्यालय बसगंडा के विभिन्न वर्ग के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों एवं छात्राओं को रू0 180.00 के दर से

कुल रू0 3600.00 का भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान में से रू0 3060.00 के भुगतान पर संबंधित छात्र– छात्राओं का प्राप्ति हस्ताक्षर अंकित नही था, साथ ही उक्त भुगतान किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित नही था। ऐसी स्थिति में भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध प्रतीत होता है। भुगतान का पूर्ण विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ड0'' पर दिया गया है। इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया।

अतः रू0 3060.00 के भुगतान को सक्षम पदाधिकारी से जाँच कराकर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। जाँच तक भुगतान राशि को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

<u>भाग – 2</u>

6. <u>समान्य रोकड़ पुस्त का संधारण नही किया जाना धोर आपत्ति जनक :–</u>

जाँच क्रम में पाया गया कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दशम वित्त आयोग एवं एकादश वित्त आयोग के लिये तीन सहायक रोकड़ पुस्तो का संधारण किया गया था। एक से अधिक सहायक रोकड़ पुस्तों के होने की स्थिति में एक सामान्य रोकड़ पुस्त का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए था, जिसकी पूर्णतः अवहेलना की गयी। ऐसी स्थिति में एकीकृत संवरण शेष का अभाव पाया गया जो लेखा संधारण की द्वष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। यह भी उल्लेखनीय है कि सहायक रोकड़ पुस्तों के संधारण बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 के अनुरूप फार्म टी0 सी0 6 में नही किया गया था। अंकेक्षण द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि सहायक रोकड़ पुस्तों एवं समान्य रोकड़ पुस्त का संधारण निर्धारित फार्म में अबिलम्ब कर सूचना से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

7. <u>मापी पुस्त का काल्पनिक संधारण घोर आपत्ति जनक :–</u>

योजनाओं से संबंधित मापी पुस्तों की जाँच में पाया गया कि बिना मास्टर रौल, अभिश्रव के ही मापी पुस्त संधारित कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में मापी पुस्त में की गयी प्रविष्टियाँ

पूर्णतः काल्पनिक प्रतीत होती है। प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान मापी पुस्त के उपयुक्त काल्पनिक प्रविष्टियों की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है, एवं अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है, कि मनमाने ढंग से मापी पुस्त संधारित करने वाले सक्षम पदाधिकारी पर उचित कार्रवाई कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार

(1)

(2)

परिशिष्ट –'क'

अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका – 1'ञ' से संबंधित

अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना रोकड़ पुस्त – वर्ष 01–02 से 03–04
2. दशम् वित्त आयोग रोकड़ पुस्त – वर्ष 03–04
3. एकादश वित्त आयोग रोकड़ पुस्त – वर्ष 02–03 से 03–04
4. योजनाभिलेख – वर्ष 01–02 से 03–04
5. योजना पंजी – (आंशिक)
6. बैंक पास बुक
7. छात्रवृत्ति भुगतान पंजी

<u>अंकेक्षण में अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–</u>

1. योजना पंजी – आंशिक
2. भंडार पंजी (स्थायी एवं अस्थायी)
3. अभिश्रव की रक्षी संचिका
4. शिक्षा मित्र की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
5. चेक आगत एवं निर्गत पंजी
6. सरकारी आदेश से संबंधित संचिका

परिशिष्ट–''ख''

अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका- 1''ठ'' से सम्बंधित

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के संबंधित आय–व्यय विवरणी

<u>वित्तीय वर्ष 2001–02</u>

शीर्ष	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	अभ्युक्ति
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना		56721.00	53500.00	–	3221.00	

<u>वित्तीय वर्ष 2002–03</u>

शीर्ष	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	अभ्युक्ति
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना		175182.00	136609.00	–	38573.00	

<u>वित्तीय वर्ष 2003–04</u>

शीर्ष	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	अभ्युक्ति
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना		244263.79	241780.00	–	2483.79	

परिशिष्ट–"ख"

अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका– 1"ठ" से सम्बंधित

एकादश योजना से सम्बंधित आय–व्यय विवरणी :–

वित्तीय वर्ष 2002–03

शीर्ष	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	अभ्युक्ति
एकादश योजना		117961.00	105000.00	–	12961.00	

वित्तीय वर्ष 2003–04

शीर्ष	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	अभ्युक्ति
एकादश योजना		302437.00	219177.00	–	83260.00	

परिशिष्ट–''ख''

अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका– 1''ठ'' से सम्बंधित

एकादश वित्त आयोग से सम्बंधित आय–व्यय विवरणी :-

<u>वित्तीय वर्ष 2003–04</u>

शीर्ष	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	अभ्युक्ति
दशम् वित्त आयोग		104000.00	86051.00	–	17949.00	

परिशिष्ट –"ग"

अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका –3 से संबंधित

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अभिकर्त्ता का नाम	भुगतित राशि एवं तिथि	अभ्युक्ति
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	2/ 2000–01	ग्रामवीर कुआरी चौराहा से दक्षिण ग्रामीण सड़क का ईट्टीकरण	50000.00	श्री मोगल राय	45000.00 पूर्व पंचायत द्वारा भुगतान 4940.00 3.11.01	योजना के केश रेकर्ड के साथ ईंट का अभिश्रव सादे कागज पर था जो अनियमित हैं।
2	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	3/ 2000–01	ग्राम गंगोई से चतरा खिडकिया सिवान तक सड़क का ईंट्टीकरण	48450.00	श्री तेज नारायण सिंह	43500.00 पूर्व पंचायत द्वारा भुगतान 4897.00 9.11.01	योजना के केश रेकर्ड के साथ रू0 522000, 2142.00 एवं रू0 2916.00 का मसटिर रॉल संलग्न था जिसमे कार्यावधि अंकित नही था एवं इसे मुखिया द्वारा पारित नही किया गया था।
3	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	6/ 2000–01	कुआरी वीर में भीखम घर से फटकन राय के घर तक सड़क मिट्टीकरण ईंट्टीकरण	50000.00	श्री राम जीत राय	7500.00 10000.00 9.11.01 13000.00 25.7.02 5000.00 22.2.03 9818.00 12.6.03 पूर्व पंचायत द्वारा भुगतान	योजना के केश रेकर्ड के साथ संलग्न मस्टर रॉल पर निरीक्षण पदाधिकारी का हस्ताक्षर नही था। मस्टर रॉल की राशि कार्यावधि 4446.00 8.7.02 से 13.7.02 2223.00 9.4.03 से 11.4.03 2223.00 10.7.02 से 12.7.02
4	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	9/ 2000–01	ग्राम वकसंडा ब्रहम्स्थान के पास चौतरा निर्माण	29400.00	श्री पुलिस राय	22000.00 पूर्व पंचायत द्वारा भुगतान 7337.00 3.6.02	योजना के केश रेकर्ड के साथ रू0 4593.00 एवं 5256.00 मस्टर रॉल संलग्न था जो मुखिया द्वारा पारित नही था।
						172992.00	

परिशिष्ट –''घ''

अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका –4 से संबंधित

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अभिकर्त्ता का नाम	भुगतित राशि एवं तिथि	अभ्युक्ति
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	12/ 2000–01	डिस्ट्रीट बोर्ड सड़क से चॉदपुरा पुलिया तक सड़क ईंट्टीकरण	50000.00	श्री जय राम महतो	500.00 7000.00 – 18.2.04	योजना से संबंधित कोई अभिश्रव एवं मापी पुस्त केश रेकर्ड के साथ संलग्न नही
2	दशम् वित्त आयोग	4/ 2003–04	चॉंदपुरा में मैनेजर एवं चन्द्रदेव राय के घर पर कुआँ मरम्मति	16500.00	श्री शिव चन्द्र दास पं0 से0	4000.00 13.9.03 10000.00 20.9.03	तदैव
3	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	5/ 2000–01	सत्यनारायण शर्मा के घर से भरत के घर तक सड़क ईंट्टीकरण ग्रा0 कुआरी आजम	50000.00	श्री संजय सिंह	20000.00 10000.00 3.6.02 – 10000.00 30.1.03	योजना से संबंधित कोई अभिश्रवि एवं मस्टर रॉल केश रेकर्ड के साथ संलग्न नही। मापी पुस्त में रू0 30681.00 का कार्य अंकित
4	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	4/ 2002–03	टेक नारायण राय के घर से जगन्नाथ राय के घर तक सड़क मिट्टीकरण एवं ईंट्टीकरण	50000.00	श्री कृष्णा राय	5000.00 22.2.03 7000.00 31.3.03 10000.00 14.6.03 10000.00 27.1.04 चावल 2508=00 4 क्वीटल	मापी पुस्त में रू0 21108.00 का कार्य अंकित है। ईंट का अभिश्रव एवं मस्टर रॉल रेकर्ड के साथ संलग्न नही।
5	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	8/ 2000–01	ग्राम गंगोई से महेशिया तक सड़क का मिट्टीकरण कार्य	49000.00	श्री भुनेश्वर साह	2500.00 30000.00 पूर्व पंचायत द्वारा भुगतान	योजना के केश रेकर्ड के साथ कोई अभिश्रव या मस्टर रॉल संलग्न नही था एवं मापीपुस्त में मात्र रू0 2652.00 का कार्य अंकित है।
					कुल योग	**128508.00**	

परिशिष्अ –"ड."

अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका –"5" से संबंधित

छात्रवृति भुगतान से संबंधित विवरणी :-

क्रमांक	विधार्थी का नाम	वर्ग	कोटि	भुगतान की राशि	अभ्युक्ति
1	अरूण कुमार राम पिता-श्री विसुनदेव राम	IV	अनु0 जाति	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
2	वीरेन्द्र कुमार राय पिता-श्री रामायण राम	IV	अनु0 जाति	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
3	धर्मेन्द्र कुमार पिता-श्री प्रदीप साह	IV	पिछड़ा वर्ग	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
4	रेणु कुमारी पिता-श्री कामेश्वर साह	IV	पिछड़ा वर्ग	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
5	रेणु कुमारी पिता- श्री रामाशंकर राम	III	अनु0 जाति	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
6	शशि कुमार रंजन पिता-श्री रमेश प्रसाद राम	III	अनु0 जाति	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
7	पिण्टु कुमार पिता- श्री राज कुमार साह	III	पिछड़ा वर्ग	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
8	कविता कुमारी पिता- श्रीी शिवचरण राम	II	अनु0 जाति	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
9	शंकर कुमार साह पिता-श्री देवलोचन साह	II	पिछड़ा वर्ग	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
10	रिंकी कुमारी पिता- श्री कामेशवर गुप्ता	II	पिछड़ा वर्ग	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
11	सोम ठाकुर पिता-श्री नन्द किशोर ठाकुर	II	पिछड़ा वर्ग	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
12	वीणा कुमारी पिता -श्री भृगुनाथ राम	I	अनु0 जाति	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
13	शोभा कुमारी पिता- श्री भृगुनाथ राम	I	अनु0 जाति	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
14	रानी कुमारी पिता- श्री रामदास	I	पिछड़ा वर्ग	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
15	सोनू कुमार पिता- श्री रमेश राम	II	अनु0 जाति	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही

16	गुडडी कुमारी पिता- श्री पुलिस राय	II	पिछड़ा वर्ग	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
17	अभिषेक कुमार पिता- श्री दरोगा राय	II	पिछड़ा वर्ग	180.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही
			कुल योग	**3060.00**	